# बिहार सरकार
## स्वास्थ्य विभाग

**विज्ञापन संख्या : 02/2019**

**खाद्य संरक्षा आयुक्त, बिहार, पटना के अधीन खाद्य संरक्षा संवर्ग, खाद्य विश्लेषक संवर्ग एवं संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, अगमकुआँ पटना में निम्नांकित रिक्त पदों के विरुद्ध वांछित योग्यताधारी अभ्यर्थियों के लिए संविदा आधारित नियोजन हेतु आवश्यक सूचना**

**(योग्य अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें)**

खाद्य संरक्षा आयुक्त, बिहार, पटना के अधीन खाद्य संरक्षा संवर्ग, खाद्य विश्लेषक संवर्ग एवं संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, अगमकुआँ, पटना में निम्नांकित रिक्त पदों के लिए वांछित योग्यताधारी अभ्यर्थियों के लिए संविदा आधारित नियोजन हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते है :

**(क) <u>संविदागत नियोजन हेतु रिक्त पद, मानदेय, रोस्टर एवं वांछित योग्यता की विवरणी</u> :–**

| क्र० सं० | पद का नाम | मानदेय | उपलब्ध रिक्तियाँ | रोस्टर | वांछित योग्यता |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सहायक लोक विश्लेषक | 44000.00 | 04 | अनु० जाति – 01<br>अ० पि० व० – 01<br>अनारक्षित – 02 | स्नातक विज्ञान (रसायन शास्त्र) एवं खाद्य विश्लेषण का तीन वर्ष से अन्यून अनुभव। |
| 2 | वरीय विश्लेषक | 44000.00 | 01 | अनारक्षित – 01 | स्नातक विज्ञान (रसायन शास्त्र) एवं खाद्य विश्लेषण का तीन वर्ष से अन्यून अनुभव। |
| 3 | सहायक रसायन विश्लेषक | 44000.00 | 01 | अनारक्षित – 01 | स्नातकोत्तर विज्ञान (रसायन शास्त्र) एवं खाद्य विश्लेषण का एक वर्ष से अन्यून अनुभव। |
| 4 | कनीय विश्लेषक | 44000.00 | 01 | अनारक्षित – 01 | स्नातक विज्ञान (रसायन शास्त्र) एवं खाद्य विश्लेषण का एक वर्ष से अन्यून अनुभव। |
| 5 | माइक्रोबायोलॉजिस्ट | 66000.00 | 01 | अनारक्षित – 01 | स्नातकोत्तर विज्ञान (माइक्रोबॉयोलोजी) |
| 6. | खाद्य विश्लेषक | 66000.00 | 06 | अनु० जाति – 01<br>अ० पि० व० – 01<br>अना० (म०) – 01<br>पि० वर्ग – 01<br>अनारक्षित – 02 | i) भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से केमिस्ट्री या बायो केमिस्ट्री या माइक्रोबायोलोजी या डेयरी केमिस्ट्री या फुड टेक्नोलोजी, फुड एण्ड न्यूट्रीसन में मास्टर्स डिग्री ; अथवा डेयरी/ऑयल में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, अथवा वेटेरीनरी साइन्स में डिग्री; अथवा इन्स्टीच्यूशन ऑफ केमिस्ट्स (इन्डिया) द्वारा फुड एनालिस्ट खंड में संचालित परीक्षा में उत्तीर्णता द्वारा इन्स्टीच्यूशन ऑफ केमिस्ट्स (इन्डिया) का कोई एसोशिएट हो ; अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं अधिसूचित ऐसे प्रयोजनार्थ कोई अन्य समकक्ष अहर्त्ता ;<br>ii) खाद्य विश्लेषक का तीन वर्षों से अन्यून अनुभव ; एवं<br>iii) भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा आयोजित खाद्य विश्लेषक के परीक्षा में उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। |
| 7. | खाद्य संरक्षा अधिकारी | 44000.00 | 91 | अनु० जाति – 08<br>अनु० जा० (म) – 04 | i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फुड टेक्नोलॉजी या डेयरी टेक्नोलोजी या |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | अनु० ज० जा० – 01<br>अ० पि० व० – 11<br>अ० पि० व०(म०)– 06<br>पि० वर्ग – 06<br>पि० वर्ग (म०) – 03<br>पि० व० की महिला–03<br>आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग – 06<br>आर्थिक रूप से कमजोर (महिला) – 03<br>अना० (म०) – 13<br>अनारक्षित – 27 | बायो–टेक्नोलोजी या ऑयल टेक्नोलोजी या एग्रिकल्चर साइन्स या वेटेरीनरी साइन्स या बायो–केमिस्ट्री या माइक्रोबायोलोजी में डिग्री; अथवा केमिस्ट्री में मास्टर्स डिग्री ;अथवा मेडिसीन में डिग्री; अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य समकक्ष/मान्यता प्राप्त अहर्त्ता ;<br>ii) फुड ऑथोरिटी द्वारा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ अनुमोदित किसी संस्था या संस्थान में सफलतापूवर्क पूरा किया हो ; एवं<br>iii) सरकारी संस्था में समकक्ष का कार्य अनुभव प्राप्त हो। |

नोट :– खाद्य संरक्षा अधिकारी के पद पर आवेदन देने हेतु अभ्यर्थी को एक घोषणा पत्र समर्पित करना होगा कि उनके द्वारा खाद्य पदार्थ का विनिर्माण, क्रय–विक्रय, इत्यादि कार्य नहीं किया जाता है।

**(ख) उम्र सीमा** : संविदा पर नियोजन हेतु अधिकतम आयु सीमा निम्नवत् होगी –

(i) सामान्य वर्ग के लिए – 37 वर्ष।

(ii) पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग के लिए – 40 वर्ष।

(iii) अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए – 42 वर्ष।

**(ग) मानेदय में वृद्धि** :– कार्य संतोषप्रद होने पर प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत की राशि कुल मानेदय में वृद्धि देय होगी।

**(घ) आरक्षण** : संविदा नियोजन में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण का पालन किया जाएगा। आरक्षण श्रेणी के आवेदक सक्षम प्राधिकार से निर्गत जाति प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करेंगे। आरक्षण का लाभ केवल बिहार राज्य के मूल निवासी को क्रिमीलेयर रहित का प्रमाण पत्र समर्पित करने पर ही देय होगा। क्रिमीलेयर का प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने पर वे अनारक्षित कोटि में माने जाएँगे। महिला एवं दिव्यांग को नियमानुसार निर्धारित आरक्षण देय होगा।

**(ड.) नियोजन की अवधि** : यह नियोजन 01(एक) वर्ष अथवा उन पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो के लिए अनुमान्य होगी।

**(च) आवेदन की प्रक्रिया** : आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में On-line स्वीकार किये जायेंगे तथा निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। इसके लिए अभ्यर्थी को वेबसाईट **www.health.bih.nic.in** के **Recruitment Section** पर जाकर दिनांक : 11.09.2019 के पूर्वाह्न से बजे से दिनांक : 25.09.2019 के मध्य रात्रि तक अपलोड किया जा सकता है। आवेदक वेबसाईट पर दिए गए निर्देशों के अनुसार ID Generate करने के उपरांत Form पूरी तरह भरकर Submit करेगें एवं Form का Print Out लेकर भविष्य के लिए सुरक्षित रखेगें।

**(छ) दस्तावेजों/प्रमाण–पत्रों का सत्यापन** : चयनित अभ्यर्थी को ऑनलाईन माध्यम से किए गए आवेदन की प्रति सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि को उम्र, शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति के साथ प्रस्तुत करना होगा।

**(ज) चयन का प्रक्रिया** : अभ्यर्थी का चयन मेधा सूची के आधार पर होगा। मेधा का निर्धारण निम्नवत् होगा –

| सहायक लोक विश्लेषक/वरीय विश्लेषक/सहायक रसायन विश्लेषक/कनीय विश्लेषक | | |
|---|---|---|
| 1 | उक्त पदों हेतु अंकित अहर्त्ता के स्तम्भ में वर्णित विषयों में बैचलर/मास्टर्स या समकक्ष डिग्री में प्राप्तांक के लिए | 70 अंक |
| 2 | वर्णित विषयों में उच्चतर डिग्री के लिए | 10 अंक |
| 3 | सरकारी संस्था में खाद्य विश्लेषण के अनुभव के लिए (प्रत्येक पूर्ण छः मास के लिए 2 अंक एवं अधिकतम 20 अंक) | 20 अंक |
| | कुल | 100 अंक |

टिप्पणी :

(i) बैचलर/मास्टर्स या समकक्ष डिग्री के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किए जाने वाला अंक उक्त कोर्स की परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.7 के गुणक से गुणा करके विनिश्चत किया जाएगा, अर्थात् यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किया गया हो तो उसे 50 % x 0.7 = 35 अंक दिए जायेगे।

(ii) उक्त पदों हेतु वर्णित अहर्त्ताओं में प्रत्येक अनुतीर्णता हेतु (–2) अंक घटाया जाएगा।

(iii) सरकारी संस्थानों में कार्य अनुभव से अभिप्रेत है, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकार के कार्य अनुभव।

(iv) उम्मीदवारों के चयन हेतु न्यूनतम 33 % अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

| माइक्रोबायोलॉजिस्ट | | |
|---|---|---|
| 1 | माइक्रोबायोलॉजिस्ट हेतु अंकित अहर्त्ता के स्तम्भ में वर्णित विषयों में मास्टर्स या समकक्ष डिग्री में प्राप्तांक के लिए | 70 अंक |
| 2 | वर्णित विषयों में उच्चतर डिग्री के लिए | 10 अंक |
| 3 | सरकारी संस्था में कार्य अनुभव के लिए (प्रत्येक पूर्ण छः मास के लिए 2 अंक एवं अधिकतम 20 अंक) | 20 अंक |
| | कुल | 100 अंक |

टिप्पणी :

(i) बैचलर/मास्टर्स या समकक्ष डिग्री के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किए जाने वाला अंक उक्त कोर्स की परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.7 के गुणक से गुणा करके विनिश्चत किया जाएगा, अर्थात् यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किया गया हो तो उसे 50 % x 0.7 = 35 अंक दिए जायेगे।

(ii) माइक्रोबायोलॉजिस्ट हेतु वर्णित अहर्त्ताओं में प्रत्येक अनुतीर्णता हेतु (–2) अंक घटाया जाएगा।

(iii) सरकारी संस्थानों में कार्य अनुभव से अभिप्रेत है, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकार के कार्य अनुभव।

(iv) उम्मीदवारों के चयन हेतु न्यूनतम 33 % अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

| खाद्य विश्लेषक | | |
|---|---|---|
| 1 | खाद्य विश्लेषक हेतु अंकित अहर्त्ता के स्तम्भ में वर्णित विषयों में बैचलर या समकक्ष डिग्री में प्राप्तांक के लिए | 70 अंक |
| 2 | वर्णित विषयों में उच्चतर डिग्री के लिए | 10 अंक |
| 3 | सरकारी संस्था में समकक्ष कार्य अनुभव हेतु (प्रत्येक पूर्ण छः मास के लिए 2 अंक एवं अधिकतम 20 अंक) | 20 अंक |
| | कुल | 100 अंक |

टिप्पणी :

(क) मास्टर या समकक्ष डिग्री के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किए जाने वाला अंक उक्त कोर्स की परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.7 के गुणक से गुणा करके विनिश्चत किया जाएगा, अर्थात् यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किया गया हो तो उसे 50 % x 0.7 = 35 अंक दिए जायेगे।

(ख) खाद्य विश्लेषक हेतु वर्णित अहर्त्ताओं में प्रत्येक अनुतीर्णता हेतु (–2) अंक घटाया जाएगा।

(ग) सरकारी संस्थानों में कार्य अनुभव से अभिप्रेत है, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकार के कार्य अनुभव।

(घ) उम्मीदवारों के चयन हेतु न्यूनतम 33 % अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

| खाद्य संरक्षा अधिकारी | | |
|---|---|---|
| 1 | खाद्य संरक्षा अधिकारी हेतु अंकित अहर्त्ता के स्तम्भ में वर्णित विषयों में बैचलर या समकक्ष डिग्री में प्राप्तांक के लिए | 70 अंक |
| 2 | वर्णित विषयों में उच्चतर डिग्री के लिए | 10 अंक |
| 3 | सरकारी संस्था में समकक्ष कार्य अनुभव हेतु (प्रत्येक पूर्ण छः मास के लिए 2 अंक एवं अधिकतम 20 अंक) | 20 अंक |
| | कुल | 100 अंक |

**टिप्पणी :**

(i) बैचलर या समकक्ष डिग्री के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किए जाने वाला अंक उक्त कोर्स की परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.7 के गुणक से गुणा करके विनिश्चत किया जाएगा, अर्थात् यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किया गया हो तो उसे 50 % x 0.7 = 35 अंक दिए जायेगे।

(ii) खाद्य संरक्षा अधिकारी हेतु वर्णित अहर्त्ताओं में प्रत्येक अनुतीर्णता हेतु (–2) अंक घटाया जाएगा।

(iii) सरकारी संस्थानों में कार्य अनुभव से अभिप्रेत है, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकार के कार्य अनुभव।

(iv) उम्मीदवारों के चयन हेतु न्यूनतम 33 % अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(झ) काउंसिलिंग हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नही होगा।

6/9/15

(कौशल किशोर)
अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग,
बिहार, पटना।